न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 214/2023

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. चन्द्रसिंह पुत्र छोगासिंह जाति राजपूत निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुमेरसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. जगदीश सिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
4. भूपसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
5. श्रवण सिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
6. सीता पुत्री चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक कार्यालय नोहर/खुईया तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 25/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मीजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 49/53 के प० नं० 342/399 (110) के किला नं. 8 ता 13 व 19, 20 प्रत्येक की 0.2530 है० कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 2.0240 है0 में से 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 253/76 के प० नं. 341/398 (104) के किला नं. 17, 24, 25 प्रत्येक की 0.2530 है० प० नं0 342/398 (103) 21 ता 25 प्रत्येक की 0.2530 है० प० नं0 342/399 (110) के किला नं. 1/1 की 0.0260 है० गै० मु० रास्ता, 1/2 की 0.2270 है0, 2/1 की 0.0260 है० गै० मु० रास्ता, 2/2 की 0.2270 है०, 3/1 की 0.0260 है० गै० मु० रास्ता, 3/2 की 0.2270 है0, 4/1 की 0.0260 है० गै० मु० रास्ता, 4/2 की 0.2270 है० कुल खसरे 16 का कुल क्षेत्रफल 3.0360 है० भूमि में से 1/8 हिस्सा व खाता संख्या 50/51 के प० नं0 343/392 (18) के किला नं. 1 ता 4, 8 ता 10. 12, 13, 18, 19, 22, 23 प्रत्येक की 0.2530 है० प० नं० 343/393 (37) के किला नं. 2/1 की 0.0260 है० गै० मु० रास्ता, 2/2 की 0.2270 है0, 3/1 की 0.0260 है० गै० मु० रास्ता, 3/2 की 0.2270 है0 कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा व 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 23/20 के प० नं० 360/372 (27) के किला नं. 2, 3, 8, 9, 13, 18 प्रत्येक की 0.2530 है० कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है0 में से 1/4 हिस्सा एवं

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा ननाऊ के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 134/131 के खसरा नं. 183/11 का कुल क्षेत्रफल 6.3230 है० व रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 22/22 के प० नं0 341/399 (13) के किला नं. 4 ता 6. 15 प्रत्येक की 0.2530 है० कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि इसके अलावा गांव फेफाना में 2 प्लाट प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात ठल ठपतजी त्पहीज हक हिस्सा है। कर्ता हिन्दुखानदान होने के कारण से उपरोक्त भूमि व दोनो प्लाट प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि व दोनो प्लाटों में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब० हि० ब० का हक हिस्सा है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवाकर जमाबंदी में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या काफी तेज तर्रार है तथा समस्त भूमि व दोनो प्लाट अपने अकेले के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 को उनके हक हिस्सा से वंचित करने के लिए भूमि व दोनो प्लाट को रहन, बैय व मुन्तकिल करना चाहता है तथा वादी को उसके हक हिस्सा से बंचित रखना चाहते है यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपनी योजना में कामयाब हो जाता है तो वादी के साथ घोर अन्याय होगा तथा वादी को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में किसी भी सुरत में सम्भव नहीं है इसलिए वादी प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करवाने का अधिकारी है कि वह रोही मौजा रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 49/53 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 2.0240 है0 में से 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 253/76 के कुल खसरे 16 का कुल क्षेत्रफल 3.0360 है० भूमि में से 1/8 हिस्सा व खाता संख्या 50/51 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा व 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 23/20 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है0 में से 1/4 हिस्सा एवं रोही मौजा ननाऊ के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 134/131 के खसरा नं. 183/11 का कुल क्षेत्रफल 6.3230 है० व रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 22/22 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि इसके अलावा गांव फेफाना में स्थित दोनो प्लाट को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

घोषणा की जावे कि रोही मौजा रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 49/53 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 2.0240 है0 में से 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 253/76 के कुल खसरे 16 का कुल क्षेत्रफल 3.0360 है० भूमि में से 1/8 हिस्सा व खाता संख्या 50/51 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा व 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 23/20 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है0 में से 1/4 हिस्सा एवं रोही मौजा ननाऊ के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 134/131 के खसरा नं. 183/11 का कुल क्षेत्रफल 6.3230 है० व रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्बत 2076–2079 के खाता संख्या

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

22/22 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 को प्रतिवादी संख्या 1 अपने साथ ब० हि० ब० का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे तथा इसके अलावा गांव फेफाना में स्थित दोनो प्लाट में भी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को बराबर का हिस्सेदार दर्ज किया जावे।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

साक्ष्य में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 6 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। जो वादी के पिता को विरास्तन प्राप्त हुई थी इस प्रकार कर्ता हिन्दुखानदान होने के कारण से उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 6 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब० हि० ब० हक हिस्सा है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 49/53 के कुल खसरे 8 का कुल क्षेत्रफल 2.0240 है0 में से 1/4 हिस्सा व खाता संख्या 253/76 के कुल खसरे 16 का कुल क्षेत्रफल 3.0360 है० भूमि में

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

से 1/8 हिस्सा व खाता संख्या 50/51 के कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा व 1 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 23/20 के कुल खसरे 6 का कुल क्षेत्रफल 1.5180 है0 में से 1/4 हिस्सा एवं रोही मौजा ननाऊ के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 134/131 के खसरा नं. 183/11 का कुल क्षेत्रफल 6.3230 है० व रोही मौजा 16 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्बत 2076–2079 के खाता संख्या 22/22 के कुल खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है। वादी का कथन है कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 3 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। जो वादी के पिता को विरास्तन प्राप्त हुई थी इस प्रकार कर्ता हिन्दुखानदान होने के कारण से उपरोक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब० हि० ब० हक हिस्सा है। परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा रोही मौजा 16 जेएसएन के खाता स0 22/22 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 23/20 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 50/51 की कुल 3.7950 हेक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक दादालाई भूमि होना साबित है जबकि वादी द्वारा रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 49/53 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 253/76 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि व रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 134/131 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है उक्त भूमि पैतृक है या नही बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किया गया हैं। अत पैतृक भूमि में वादी के हक हिस्सा की घोषणा किया जाना न्यायोचित है जबकि रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 49/53 की कुल 2.0240 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 253/76 की कुल 3.0360 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा भूमि व रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 134/131 की कुल 6.3230 हैक्ट भूमि में वादी को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित नही है क्योंकि उक्त भूमि पैतृक के संबंध में वादी द्वारा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है अत वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार योग्य है।

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर आंशिक साबित होने के कारण वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 16 जेएसएन के खाता स0 22/22 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 23/20 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 50/51 की कुल 3.7950 हेक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 214/2023

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. चन्द्रसिंह पुत्र छोगासिह जाति राजपूत निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुमेरसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. जगदीश सिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
4. भूपसिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
5. श्रवण सिंह पुत्र चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
6. सीता पुत्री चन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी ललाना बास उतरादा तहसील नोहर।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक कार्यालय नोहर/खुईया तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 214 सन 2023 निर्णय दिनांक 25/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 16 जेएसएन के खाता स0 22/22 की कुल 1.0120 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 1 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 23/20 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के खाता स0 50/51 की कुल 3.7950 हेक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज है में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 6 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर